(c) Yes, Sir. The additional five per cent ad-hoc allocation of levy sugar is being restored with effect from 1st September, 1995.

(d) No, Sir.

Writing-off of loans of non-core sector

1927. SHRI SANJAY DALMIA:
DR. BAPU KALDATE:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the amount which had to be written off as on 31st March, 1995 on account of coal supply to non-core sector through railways; and

(b) the amount outstanding against non-core sector through railways as on 31st March, 1995, and since when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No amount had to be written off as on 31.3.95 on account of coal supplied to non-core sector consumers through Railways.

(b) The total amount of outstanding dues from non-core sector consumers for coal supplied through Railways as on 31.3.95 was Rs. 47.03 crores.

भारत में बाल श्रम के संबंध में "यूनीसेफ" का प्रस्ताव

1928. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनीसेफ" ने बाल श्रमिकों के शोषण के संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का मूल विषय/आशय क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रमिक शोषण से संबंधित कानून का शीघ्रता से अनुपालन करने के लिये अब तक क्या पहल की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 जैसे विभिन्न श्रम कानून के तहत किए गए निषेधात्मक उपबंधों के अलावा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में भी बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन कर रहे हैं। अधिनियम के प्रवर्तन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किए जाने के बारे में नियोजकों के विरूद्ध दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	उल्लंघनों की संख्या
1992-93	1884
1993-94	1814
1994-95	2166

अभी तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्योगों में विभिन्न व्यवसायों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करवाएं। यदि, ऐसे उद्योगों/प्रक्रियाएं जिन्हें रियायतें दी गई हैं, का निरीक्षण करने पर पाया जाता है कि वे विद्यमान कानून का अतिक्रमण करके बाल श्रम का नियोजन कर रहीं हैं तो उन्हें दी जाने वाली रियायतें समाप्त कर दी जाएं। इसके अलावा, बाल श्रम से संबंधित कानूनों का बेहतर प्रभावी ढंग से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 600 निरीक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

1929. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1994-95 के "आर्थिक सर्वेक्षण" में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश के संबंध में की गई कतिपय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) और (ख) 1994-95 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, हाल के वर्षों में कृषि में निवेश की दर में गिरावट की प्रवृत्ति को प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता है। अस्सी के दशक के दौरान कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में 1980-81 की कीमतों पर परिमित सकल पूंजी निर्माण 1980-81 में 4864 करोड़ रुपये से घट कर 1989-90 में 4792 करोड़ रुपये हो गया था किन्तु 1993-94 में बढ़कर 5228 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों अर्थात बागवानी, मत्स्य पालन, वर्षा सिंचित कृषि, लघु सिंचाई हेतु आधार संरचना का निर्माण, फसलोत्तर प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश के महत्वपूर्ण स्तर का प्रस्ताव किया गया है। कृषि के लिए आधार संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत एक नया आधारभूत संरचनात्मक विकास कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कोष से मध्यम और लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल संभर प्रबंध और ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्य रूपों से संबंधित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण मुहैया कराया जाएगा।

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1930. श्री महेश्वर सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा इनके लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इन्हें किस-किस तिथि को स्वीकृत किया गया एवं उन एजेंसियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया तथा यह कार्य किस-किस तिथि को आरम्भ किया गया और इन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा कितनी-कितनी धनराशि शेष है एवं इस निर्माण कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Bangladeshi and Pakistani nationals drawing ration in the country

1931. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of Bangladeshi and the Pakistani nationals who are at present drawing ration through Public Distribution System shops (State-wise) and particularly in Delhi and Bombay;

(b) what is the quantity and value of ration issued to these persons during each of the last three years and so far in 1995;

(c) to what extent the identity cards issued by the Election Commission have helped Government to check bogus ration cards and to identify foreign nationals in the country; and

(d) whether all the identity card holders have been issued fresh ration cards; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (d) The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) vests with the State Governments/UT Administrations. Decisions regarding issue of ration cards, eligibility criteria, renewal of ration cards, etc. are matters which fall within the administrative jurisdiction of the State Governments/UTs. Ration cards are issued by States/UTs to bonafide residents. Issue of Ration Card is not meant to confer any benefit other than access to the PDS. Central Government has been advising the State Governments/UT administrations to weed out bogus ration cards through regular checks and verifications. As per available reports, more than 11.58 million Bogus Ration Cards have